ग्रामीण भारत में COVID-19 की दूसरी लहर के लिए प्रतिक्रिया

रैपिड रूरल कम्युनिटी रिस्पांस COVID-19 (RCRC)

गैर-लाभकारी संगठनों का एक गठबंधन ग्रामीण भारत का सामना करने वाली अद्वितीय चुनौतियों पर प्रकाश डालता है और COVID-19 की दूसरी लहर पर प्रतिक्रिया देने के लिए सुझाव प्रदान करता है।

भारत भर के बड़े शहरों की स्वास्थ्य सेवाएं COVID-19 की दूसरी, क्रूर लहर के साथ जूझ रही हैं। साथ ही देश के छोटे शहरों और गांवों में भी विनाशकारी परिणाम सामने आ रहे हैं। बुनियादी ढांचे की कमी, महामारी के फैलाव के बारे में सीमित जागरूकता, और टीकाकरण की झिझक मुख्य कारण रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण भारत दूसरी बार महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया सक्षम करने के उद्देश्य से मार्च 2020 में, 60 से अधिक सिविल सोसाइटी संगठनों (CSO) ने मिलकर एक गठबंधन बनाया—रैपिड रूरल कम्युनिटी रिस्पांस COVID-19 (RCRC)। 15 राज्यों के 110 से अधिक जिलों में 1.6 करोड़ लोगों तक हमारी पहुंच बनी, RCRC ने पिछले साल महामारी से प्रभावित लाखों लोगों को राहत और आजीविका सहायता प्रदान की।

हमारे सदस्य संगठनों के नेटवर्क के साथ हमने जमीनी स्थिति को समझा, विशेष रूप से यह कि दूरदराज के गांवों तथा छोटे और माध्यम शहरों में त्वरित रूपसे और मध्यम अवधि में सहायता प्रदान करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए।

यहाँ पिछले वर्ष से हमारे निष्कर्षों का अवलोकन किया गया है और हमारे सुझाव भी प्रस्तुत हे।

ग्रामीण भारत में स्थिति और चुनौतियाँ

जिन क्षेत्रों में हमारे सदस्य संगठन काम करते हैं, उन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के परीक्षण में पाया गया कि वे आवश्यकता से बहुत कम है। परीक्षण के लिए भेजे जाने वाले रक्त के नमूनों में भारी देरी होती है और परीक्षण रिपोर्ट में अक्सर बहुत देरी हो जाती है। लोग अलग रहने के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए अनिच्छुक हैं, साथ ही अलग रहने की सुविधाओं की उपलब्धता की कमी भी है। निम्नलिखित अवलोकन उन्ही ग्रामीण लोगों की स्थिति को चिह्नित करते हैं :

- COVID-19 से संपर्क में आने को लेकर जनता में भय।
- परीक्षण सुविधाओं की कमी और रिपोर्टों में देरी, जिसके परिणामस्वरूप आगे संक्रमण की संभावना
- आवश्यक दवाओं की कमी।
- वैक्सीन संकोच और टीकाकरण के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा।
- अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव।
- पिछले साल की तुलना में सीमित निगरानी और परीक्षण प्रणालियों के साथ रिवर्स माइग्रेशन।
- पूर्णबंधी (Lockdown) और आय, आजीविका के स्रोतों को खोने का डर।

सुझाव

1. **शमन की रणनीति को बड़े स्तर पर अपनाना चाइए क्योंकि रोग तेजी से अंदरूनी जगहों पर फैल रहा है। हम निम्नलिखित उपाय सुझाते हैं:**
    - COVID-19 के हल्के मामलों में फिंगर ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करे, देखभाल प्रदाताओं के लिए साबुन, सैनिटाइटर्स और एन -95 मास्क सुनिश्चित करे; घर में अलगाव और देखभाल के लिए प्रोटोकॉल स्थापित करे; और स्कूलों और घर में अलगाव करना। निजी क्षेत्र के बिक्री और वितरण कर्मचारियों, पोस्टमैन और शिक्षकों सहित सभी फ्रंटलाइन कर्मियों के लिए इन सुझाव पे कार्य करके इसे सुदृढ़ किया जा सकता है। सभी को सूचित किया जाना चाहिए और सरकार (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे चिकित्सा संस्थानों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा जारी सलाह का उपयोग करके सही जानकारी का प्रसार करना चाहिए।
    - Proning जैसी तकनीकें जो बीमारी की गंभीरता को कम करने की क्षमता को बढ़ाती हैं।
    - टीकाकरण से जुड़े संभावित दुष्प्रभाव के भय को दूर करना।
    - एक हेल्पलाइन और एक डैशबोर्ड के माध्यम से सुविधाओं या डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना । इससे विशेष रूप से टियर- III और टियर- IV के शहरों और गांवों में टीके, ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, एम्बुलेंस आदि के स्टेटस को हर चार घंटे में अपडेट किया जा सकता है। साथ ही डिजिटल सेवा केंद्रों (या समतुल्य), ग्राम पंचायत कार्यालयों (या समतुल्य), और जिन स्कूलों में कंप्यूटर हैं, वहां सूचनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शनों की स्थापना करके उनकी सुविधा की जा सकती है।

2. **ग्राम स्तरीय COVID-19 सहायता प्रदान करने हेतु सुझाव:**
    - घर अलगाव /आइसोलेशन के भय को दूर करने के लिए एक छोटा मैनुअल या एक वीडियो प्रसारित करना। (85 प्रतिशत केस के लिए किया जा सकता है)।
    - प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों के लिए ग्राम-पंचायत-स्तरीय अलगाव केंद्र बनाना और ऐसे लोगों के लिए भी जिनके पास घर में अलगाव की सुविधा नहीं है। इन केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सा, पौष्टिक भोजन, स्वच्छता और पीने के पानी की सुविधाएं सुनिश्चित करना।
    - घर पर अलगाव में रहने वाले मरीजों के लिए दवाई, ऑक्सीमीटर (प्रतिस्थापन सहित बैटरी के साथ), थर्मामीटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों को आशा कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्येक ग्राम में या ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाना। इसके अतिरिक्त, उन्हें COVID-19 केस को सहायता करने के लिए उचित ज्ञान व अभ्यास प्रदान करना ।
    - एन -95 मास्क, सैनिटाइटर की पर्याप्त मात्रा, और फ्रंटलाइन श्रमिकों और क्षेत्र में सक्रिय गैर-लाभकारी कर्मचारियों के लिए टीके की उपलब्धता।
    - मास्क और सैनिटाइटर की दरों में सहायता।
    - गर्भ निरोधकों को आसानी से उपलब्ध बनाना।
    - व्यापक स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित करना जो की सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) और गैर-लाभकारी कर्मचारियों जैसे फ्रंटलाइन ग्राम श्रमिकों द्वारा किए गए चिकित्सा खर्चों को कवर करता है, ताकि उन्हें सुरक्षा और सलामती की भावना के साथ समुदाय की सेवा करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। जहां इस तरह की बीमा योजना बाजार में उपलब्ध नहीं है, वहां एक उचित सीमा तक COVID-19

ड्यूटी पर कार्य कर रहे फ्रंटलाइन श्रमिकों और गैर-लाभकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए एक फंड बनाएं।

- फ्रंटलाइन वर्कर्स, सीआरपी और गैर-लाभकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को 'COVID-19 स्वयंसेवकों' के रूप में पंजीकृत करना, चूंकि वे समुदाय, सरकार और नागरिक समाज की बीच एक मजबूत कड़ी हे।
- प्रत्येक जिले में, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य (और आघात) परामर्श हेल्पलाइन स्थापित करना और मौजूदा काउंसलिंग हेल्पलाइन जैसे कि, 181 'और ' किरण ' को प्रदान करना अनिवार्य है।
- परामर्शदाताओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देना (ECHO एक उदाहरण है)।
- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर टीकों की पहुंच सुनिश्चित करना।

3. गाँव-स्तर पर निम्नलिखित राहत को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे:

- मुफ्त राशन (पीडीएस) छह महीने के लिए दाल, तेल, चीनी और साबुन युक्त एक किट के साथ।
- 11 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए खाद्य सहायता और प्रतिरक्षा बूस्टर।
- आंगनवाड़ियों और स्कूलों में खाद्य प्रावधानों की निरंतर आपूर्ति।
- घरों के करीब साफ पानी की वैकल्पिक व्यवस्था, खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए क्योंकि उन्हें पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
- तापमान बढ़ने के साथ टैंकरों और हैंडपंप की मरम्मत के जरिए पेयजल आपूर्ति का प्रावधान।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) को सशक्त करना, गांव-स्तर पर काम और धन तक पहुंच सुनिश्चित करना। वर्षा जल संचयन और जल रिचार्ज संरचनाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।

4. निम्नलिखित जिला या उप-जिला स्तरीय सहायता प्रदान करें:

- खासकर मध्यम और गंभीर मामलों के लिए चौबीस घंटे परिवहन की व्यवस्था, जिन्हें अस्पतालों तक पहुंचने की आवश्यकता होती है।
- टीके की पहले खुराक को तुरंत सार्वभौमिक बनाने के लिए टीकों की बढ़ी हुई उपलब्धता; टीके, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कन्संट्रेटर , एक्स-रे मशीन, नाक कैलेनडुअल्स , और अन्य चिकित्सा उपकरणों के लिए रेफ्रिजरेटर।
- स्वैच्छिक संस्थान (CSO) की जिला टीमों द्वारा की गई मानव संसाधन लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए दाताओं को प्रोत्साहित करें।

5. आजीविका के माध्यम से संरक्षण और समर्थन:

- कृषि और पशुधन उत्पादन के लिए और गैर-कृषि गतिविधियों के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों पर उत्पादन और विपणन समर्थन। इसमें से कुछ सहायता लोन के रूप में हो सकती है।
- गैर-लकड़ी वन उत्पादों के संग्रह के लिए विकेंद्रीकृत प्रयास।
- NREGA के तहत जल निकायों का वर्णन करना।

6. **सुनिश्चित करें कि लोग जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके:**
    - कार्य आरंभ की सुविधा के लिए नरेगा की मांग और अनिवार्य जिलों की त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करना; सामूहिक कार्यों के साथ-साथ व्यक्तिगत कार्यों का दायरा सार्वजनिक करना। NREGA के दायरे को बड़ा करना, परिवारों या परिवारों के समूहों द्वारा पानी के टैंकों और शौचालयों के निर्माण को शामिल करना। वेतन को बढ़ाना और साथ ही काम के दिनों की संख्या को बढ़ाना ।
    - जमीनी हकीकत से अवगत कराने हेतु सरकारी विभागों के साथ सहयोग और परामर्श करना और NREGA, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुरोधों और मांगों को रखना।

7. **नागरिक समाज के प्रयासों को सराहना:**
    - सामुदायिक नेताओं, पंचायती राज संस्थानों और CSOs के काम को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से सराहे।

8. **अस्पतालों पर अनावश्यक भार कम करें:**
    - उचित मार्गदर्शन के लिए रोगियों और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को फोन पर परामर्श प्रदान करने के लिए प्रमाणित निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं का एक नेटवर्क, इस के साथ सहायता कर सकता है।

9. **ग्रामीण परिवारों और प्रवासियों का नियमित सर्वेक्षण करना:**
    - पिछले साल, हमने, RCRC में, हमारे 40 सदस्य संगठनों के समर्थन से तीन दौरों का सर्वेक्षण किया (जो यहां, यहां, और यहां पाया जा सकता है) और करीब 8,500 ग्रामीण परिवारों के आंकड़ों को पाने में कामयाब रहे। इस डेटाबेस का उपयोग योजनाओं और प्रथाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए किया जा सकता है।

अधिक जाने:

- भारत में COVID-19 संकट पर अंतर्दृष्टि और विश्लेषण के लिए इस पृष्ठ का अनुसरण करें।

और यह भी करें:

- संगठनो को समर्थन करे जो COVID-19 की दूसरी लहर को प्रतिक्रिया दे रहे हे ।
- उनके काम के बारे में अधिक जानने और समर्थन करने के लिए info@rcrc.in पर RCRC से जुड़ें।

लेखक के बारे में

रैपिड रूरल कम्युनिटी रिस्पांस COVID-19 (RCRC) 60 से अधिक सिविल सोसाइटी संगठनों का एक गठबंधन है जो COVID-19 का जवाब देने के लिए एक साथ आए हैं। 15 राज्यों के 110 से अधिक जिलों में 1.6 करोड़ लोगों तक RCRC की पहुंच बनी, RCRC ने पिछले साल महामारी से प्रभावित लाखों लोगों को राहत और आजीविका सहायता प्रदान की।